इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.


# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 23 जनवरी 2018—पौष 3, शक 1939


उर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2018

क्रमांक एफ—13—26/2016/तेरह : यतः राज्य में बड़ी संख्या में स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार के अवसर एवं वृहद् निवेश को दृष्टिगत रखते हुए वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग उसके आदेश क्रमांक एफ—16—13—2016—ए—ग्यारह, दिनांक 13 फरवरी, 2017 द्वारा मेसर्स सागर मैन्युफैक्चरर्स प्राईवेट लिमिटेड तामोट, जिला रायसेन, में रूपये 936.64 करोड के स्थाई पूंजी से विस्तारित की जा रही परियोजना को कई सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसमें नये संयोजन या विद्यमान संयोजन पर अतिरिक्त विद्युत भार पर विद्युत शुल्क के संदाय से छूट भी सम्मिलित है।

2/ यतः सचिव, राज्य स्तरीय साधिकार समिति, मध्यप्रदेश ट्रायफेक द्वारा पत्र क्रमांक एम पी ट्रायफेक/फिस्कल इंसेंटिव/2017/4435 दिनांक 16 अक्टूबर, 2017 के द्वारा उक्त संबंध में दिनांक 14 सितम्बर, 2017 को हुई बैठक में राज्य स्तरीय साधिकार समिति द्वारा लिए गए निर्णयों की सूचना दी है।

3/ अतएव, मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 2012 (क्रमांक 17 सन् 2012) की धारा 5 के खण्ड (एक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, तामोट, जिला रायसेन में स्थापित मेसर्स सागर मैन्युफैक्चरर्स प्राईवेट लिमिटेड की टेक्सटाइल

परियोजना के प्रथम चरण में इस परियोजना के अंतर्गत जोड़े गए 4200 केव्हीए के अतिरिक्त विद्युत भार द्वारा उपभोग की जाने वाली विद्युत ऊर्जा पर दिनांक 15.12.2016 से 7 वर्षों की अवधि के लिए विद्युत शुल्क के संदाय से छूट प्रदान करती है :

परन्तु यह कि मेसर्स सागर मैन्युफैक्चरर्स प्राईवेट लिमिटेड को उनकी परियोजना के प्रथम चरण के अंतर्गत विद्यमान संयोजन पर उनके द्वारा जोड़ी गई 4200 केव्हीए के अतिरिक्त भार को स्पष्टरूप से चिन्हित करना होगा :

परन्तु, यह और भी कि 4200 केव्हीए के अतिरिक्त विद्युत भार के लिए खपत की जा रही इकाईयों पर छूट प्रदान करने के लिए मेसर्स सागर मैन्युफैक्चरर्स प्राईवेट लिमिटेड को मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 2012 (क्रमांक 17 सन् 2012) की धारा 15 की उप–धारा (2) के खण्ड (ख) एवं मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क नियम, 1949 के नियम 10 के उप–नियम (1) के उपबंधों को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम चरण विस्तार परियोजना हेतु एक पृथक मीटर संस्थापित करेगा।

No. F-13-26/2016/XIII: Whereas, in view to create opportunities of employment to a large number of local persons and to enhance investment in the State, the Commerce, Industries and Employment Department vide its order No. F-16-13-2016-A-XI dated 13th February, 2017 has granted various facilities to the extension project of M/s. Sagar Manufactures Pvt. Ltd. in Tamot, District Raisen, a project with an investment of Rs. 936.64 crore, including exemption from payment of electricity duty on new connection or change on additional electrical load on the existing connection.

2/ And whereas, Secretary, State Level Empowered Committee, MP TRIFAC vide letter no. MP TRIFAC/Fiscal Incentive / 2017 / 4435 dated 16th October, 2017 has conveyed the decisions taken by the State Level Empowered Committee in meeting held on 14th September, 2017 in the above regard.

3/ Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (i) of section 5 of the Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhiniyam, 2012 (No. 17 of 2012), the State Government, hereby, exempts first phase of textile project of M/s Sagar Manufacturers Pvt. Ltd. established at Tamot, District Raisen from payment of electricity duty on the electricity consumed by the 4200 KVA additional electrical load, added under this project, on the existing connection, for a period of 7 years from 15.12.2016:

Provided that M/s Sagar Manufacturers Pvt. Ltd. shall clearly earmark the additional load of 4200 KVA added by them on the existing connection under the first stage of their project:

Provided further that M/s Sagar Manufacturers Pvt. Ltd. shall have to install a separate meter for its first stage extension project in view of provisions under clause (b) of sub-section (2) of section 15 of the Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhiniyam, 2012 (No. 17 of 2012) and sub-rule (1) of rule 10 of the Madhya Pradesh Electricity Duty Rules, 1949 for grant of exemption for consumption of units under the additional electrical load of 4200 KVA.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**आई. सी. पी. केशरी,** प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.